न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री समदरसिंह भाटी,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 80/2022

प्रार्थी बनाम	**विप्रार्थीगण**
अमृत भाई पुत्र शंकर भाई जाति नाई निवासी उण्डाली तहसील सिणधरी	1. ताजाराम पुत्र भैराराम 2. मूलाराम पुत्र भैराराम 3. सोनाराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी डण्डाली तहसील सिणधरी 4. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल, अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2 व 3 की ओर से उपस्थित।
3. प्रतिवादी सं. 04 के पैरोकार उप.। शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 09.10.2025

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत करते हुए यह आवेदन विप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता पाने हेतु श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है कि पक्षकारान की सहखातेदारी का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल डण्डाली के ग्राम डण्डाली के खसरा संख्या 147 रकबा 8.8100 हैक्टेयर खसरा संख्या 618 रकबा 3.6162 हैक्टयर का आया हुआ है। कि उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी संख्या 1 का 17/192 हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 2 का 31/48 हिस्सा, प्रार्थी 2 का 17/96 हिस्सा तथा प्रार्थी सं. 3 का 17/192 हिस्सा खातेदारी अधिकारी का है। इसी [illegible] हिस्साकस्सी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण की खुल्ली हुई है तथा राजस्व रेकर्ड में [illegible] हिस्से दर्ज है एवं इसी हिस्सो में माफिक प्रार्थीगण विवादित भूमि पर [illegible] है तथा मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है परन्तु प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थीगण, प्रार्थी के हिस्से [illegible] भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहे तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि का किसी अजनबी क्रेता के पक्ष में बैचान करने की धमकी दी, प्रार्थी व विप्रार्थीगण के पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड़ने पर ऊतारू होकर प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रद्दोबदल करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 13:47:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

पर प्रयासरत है तथा प्रार्थीगण को सड़क मार्ग तक नहीं जाने देते है जबकि वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया हुआ नही है जिस कारण प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इंच पर समान हक हिस्सा है इस तथ्य को लेकर प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य अरसा एक माह से तनाव की स्थिति बनी हुई है, साथ ही प्रार्थीगण अपने हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु सहकारी संस्था एवं विकास बैंक जैसी संस्थाओं से ऋण लेना चाहते है किन्तु भूमि सामलाती होने से प्रार्थीगण को कई परेशानियों एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब विप्रार्थीगण बेशकीमती व विशिष्ट भू–भाग वाली भूमि को किसी अजनबी क्रेता के पक्ष में बैचान करने तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त से आवागमन के रास्ता/मार्ग तक आने जाने हेतु बाधा कारित करते है जबकि भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा नहीं किया हुआ होने के कारण सामलाती भूमि में विप्रार्थीगण विशिष्ट भूमि–भाग निर्माण, आदि करवाने के अधिकारी नहीं है क्योंकि सामलाती भूमि पर प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक ईंच पर समान हक व हिस्सा होता है तथा प्रार्थी के हिस्से की कब्जे काश्त की भूमि में मौखिक बंटवाड़े अनुसार कायम सेढे को तोड़कर विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर रहे है, यदि ऐसा करने में विप्रार्थीगण सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं है। कि सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थीगण वादग्रस्त. भूमि में रेकर्डेड खातेदार है जिनका वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है जबकि विप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर खेत खसरा संख्या 147 रकबा 8.8100 हैक्टेयर व खसरा संख्या 618 रकबा 3.6162 हैक्टयर भूमि मौजा डण्डाली पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण व उसके परिवार सदस्य या एजेन्ट किसी प्रकार की दखलअन्दाजी व हस्तक्षेप नहीं करें तथा न ही विप्रार्थीगण सुंयक्त खातेदारी भूमि का बैचान करे तथा न ही जबरन प्रार्थीगण को बेदखल करने का प्रयास करें तथा न ही प्रार्थीगण के हिस्से पर काश्त करें तथा न ही मौके पर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का नया निर्माण या खुदाई करें एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा प्रार्थीगण को आवागमन के रास्ते तक आने जाने में किसी प्रकार की दुविधा पैदा नहीं करें, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में विप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की जावें।

प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण सं. 2 व 3 की तरफ से वकील उपस्थित हुए, परन्तु उनकी ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं कर बहस की गई तथा विप्रार्थीगण सं. 1 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। कि प्रार्थी तथा विप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 147 रकबा 8.8100 हैक्टेयर व खसरा संख्या 618 रकबा 3.6162 हैक्टयर भूमि मौजा डण्डाली पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी में आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की सहखातेदारी के अधिकारों का है जिसमें पक्षकारान के अपने–अपने हिस्साकस्सी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी की खुल्ली हुई है तथा राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार अलग–अलग हिस्से दर्ज है। जहां तक प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेदो को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थीगण, प्रार्थी के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड रहे है एवं प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रखोबदल करने पर प्रयासरत है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 13:47:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

प्रार्थी को सड़क मार्ग तक नहीं जाने देते है के सन्दर्भ में ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे प्रथम दृष्टया यह साबित होता हो कि विप्रार्थी द्वारा ऐसा को कृत्य कारित किया जा रहा है अथवा किया गया है। प्रार्थी स्वंय द्वारा भी अपने आवेदन के तथ्यों में स्वीकार किया कि सामलाती भूमि पर प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इन पर समान हक व हिस्सा होता है, ऐसी स्थिति में यह कथन प्रतिपादित नहीं होता है कि किसी सहखातेदार को उसके हिस्से में कब्जे काश्त को लेकर पाबन्द किया जावे। जहां तक पक्षकार के कब्जे काश्त के अनुरूप विधिवत बंटवाड़े को प्रश्न है, दोनों पक्षों के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सानुसार बाइ मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तलब किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रथम द्वष्टया प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 09.10.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 13:47:00 IST
Reason: SelfAttested